भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1219

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

ईपीएस 95 पेंशनभोगियों को लाभ

1219. **श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:**
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत के साथ-साथ वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का न्यनूतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के आदेश पारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कोई निदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त आदेश से लाभान्वित ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों एवं उनके आश्रितों को महंगाई भत्ते में राहत प्रदान करने सहित वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन का न्यूनतम पेंशन लाभ, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।

*****